न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 118/12/टीआई

1. चन्द्राराम पुत्र स्व. मुरलीधर
2. लक्ष्मी देवी धर्मपत्नी श्री चन्द्राराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण मऊ तहसील श्रीमाधोपुर हाल आबाद ग्राम अलोदा उप तहसील पलसाना जिला सीकर

—आवेदकगण

बनाम

1. गिरधारी पुत्र मालीराम जाति धोबी निवासी ग्राम अलोदा उप तहसील पलसाना जिला सीकर
2. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—

1. श्री योगेश शर्मा वकील प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक— 13.07.2015

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि आराजियात खनं. 648 ता 651 किता 4 कुल रकबा 3.79 है0 अवस्थित है जिसके पुराने ख.नं. 485/6 रकबा 15 बीघा पुख्ता है। विवादित आराजी को प्रार्थी सं. 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदार द्वारका प्रसाद से 1/2 भूमि तथा प्रार्थी सं. 2 ने भी शेष 1/2 भाग को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की तथा संपूर्ण जमीन की खातेदारी दर्ज हो गई तथा प्रार्थीगण संपूर्ण आराजियात पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण का पड़ौसी है तथा उसकी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 647 रकबा 3.79 है. है तथा उक्त खसरा नं. 647 के किसी भी हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा कब्जा नहीं किया गया है एवं ना ही वर्तमान में है। अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र धारा 183 (बी) आर.टी.ऐक्ट के तहत न्यायालय तहसीलदार, दांतारामगढ के यहां दिनांक 10.01.2003 को इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी चन्द्राराम द्वारा उसकी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 647 के 0.30 है. भूमि पर बलात कब्जा किया गया है जिसे हटवाया जावें। उक्त पार्थना पत्र का प्रार्थी चन्द्राराम ने यथोचित जवाब पेश कर कहा कि उसने अप्रार्थी की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर रखा है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 25.03.2003 को प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर के यहां अपील उनवानी लक्ष्मीदेवी वगैराह बनाम तहसीलदार, दांतारामगढ वगै. अपील सं. 45/2007 पेश की जो दिनांक 22.04.2008 को

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

निरस्त कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जी को रिमाण्ड की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध किसी पक्षकार द्वारा कभी कोई अपील/नजरसानी नहीं की गई इस कारण उक्त आदेश अंतिम हो चुका है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बसाजिश अप्रार्थी सं. 2 प्रार्थीगण को धमकी दी जा रही हे कि वह येनकेन प्रकारेण प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की विवादित आराजी से बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करेगा जबकि प्रार्थीगण अपेन हिस्से खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्तकार है जिसे अवैध रूप से बेदखल करवाने का अप्रार्थीगण को कोई विधिक हक प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा भी कई बार धमकी दी जा रही है कि उस पर पार्टी का काफी राजनैतिक दबाव है इसलिए उसके द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल करने की मजबूरी है। चूंकि प्रार्थीगण एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण को कानून हाथ में लेकर प्रार्थीगण को बेदखल किये जाने का कोई कानूनी हक न होते हुए भी विधि विरूद्ध ढंग` कार्यवाही किये जाने तथा प्रार्थीगण को उसके वैध कब्जे शुदा आराजी से बेदखल किये जाने की युक्तियुक्त आशंका है। यदि अप्रार्थीगण अपने इस कुत्सित इरादे में सफल होकर प्रार्थीगण को बलात् रूप से बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को इस कदर असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से न हो सकेगी। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि तादौराने दावा अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे मय नौकर, एजेंट आदि के प्रार्थीगण को विवादित आराजियात खसरा नं. 648 ता 651 किता 4 कुल रकबा 3.79 है. वाके ग्राम अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर से बेदखल करने या करवाने, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से बाज रहे तथा अप्रार्थी सं. 2 को पाबन्द किया जावें कि वे मय नौकर प्रार्थीगण को विवादित आराजी या उसके किसी भी भाग से अवैध रूप से बेदखल करने से बाज रहे तथा मौके व रिकार्ड की स्थिति में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं करें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील श्री आर.पी. बाज्या हाजिर हुए। आज दिनांक अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3. बहस प्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को बहस के दौरान दौहराया कि विवादित आराजियात प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी की भूमिया है अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण का पड़ौसी खातेदार है जिनकी भूमियां अलग से है। प्रार्थीगण विवादित आराजियात ख.नं. 648 ता 651 किता 4 कुल रकबा 3.79 है0 वाके ग्राम अलोदा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिए अप्रार्थीगण को तादौराने दावा पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि से बेदखल करने से बाज रहे एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विवादित आराजियात ख.नं. 648 ता 651 किता 4 कुल रकबा 3.79 है0 वाके ग्राम अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा ख.नं. 647 रकबा 3.79 है0 अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी की भूमि है। विवादित भूमियों के सम्बन्ध में पूर्व में 183 (बी) आर.टी.ऐक्ट का प्रकरण चला

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

है जिसमें मुख्य विवाद सीमाज्ञान का माना है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा प्रार्थीगण की रिकार्डेड खातेदारी भूम से बेदखल किये जाने से अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को होगी। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञाा से तादारौने दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात ख.नं. 648 ता 651 किता 4 कुल रकबा 3.79 है0 वाके ग्राम अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। मिसल फैसल शुमार होकर दावा के संलग्न हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 13.07.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ